

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 885/2014/नागौर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट तृतीय, मेडता सिटी वृत्त नागौर।  
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स बोराणा आयरन इण्डस्ट्रीज,  
मेडतासिटी नागौर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई, उप राजकीय अभिभाषक  
श्री कृष्ण गोपाल खत्री, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 14/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 167/12-13/वेट/नागौर में पारित आदेश दिनांक 10.02.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, मेडतासिटी, वृत्त नागौर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत आरोपित मांग राशियों को आंशिक स्वीकार कर लेट फीस/शुल्क मांग राशि रुपये 18,300/- अपास्त किया तथा आरोपित ब्याज रुपये 358/- को यथावत रखा है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी ने माना कि प्रत्यर्थी व्यवहारी अलौच्य वर्ष 2010-11 का वार्षिक बिक्री विवरण पत्र वेट 10ए को 183 दिन विलम्ब मानते हुए इस देरी पर वेट नियम 19ए के तहत निर्धारित लेट फीस रू० 100/- प्रतिदिन के हिसाब से कुल लेट फीस रुपये 18,300/- आरोपित की तथा कुल नियमित कर रुपये 25,245/- को विभिन्न तिथियों को विलम्ब से जमा पर धारा 55 के तहत ब्याज रुपये 358/- आरोपित किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.02.2014 के द्वारा आंशिक स्वीकार कर आरोपित मांग राशियों में से लेट फीस/शुल्क रुपये 18,300/- अपास्त किया तथा आरोपित ब्याज रुपये 358/- को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध जो प्रकरण वेट 10ए जो दिनांक 30.12.2010 को पेश किया गया, जो 183 दिन देरी से पेश किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा जो आदेश दिनांक 20.12.2012 को पारित किया गया है वह पूर्णतया न्यायोचित है। चूंकि जिस दिन प्रकरण में आदेश पारित किये गये उस समय धारा 58 आदेश दिनांक 20.12.2012 को प्रभाव में नहीं होने से नियम 19ए के तहत 100/- रुपये प्रतिदिन से जो विलम्ब शुल्क रुपये 18,300/- आरोपित किया गया वह पूर्णतया उचित है। जिसको अपीलीय अधिकारी ने बिना तथ्यों को ध्यान रखते हुए अपास्त किया है वह अनुचित व विधि विरुद्ध है जिसको अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा आलौच्य वर्ष 2010-11 का वार्षिक बिक्री विवरण पत्र वेट 10ए को सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किये जाने पर धारा 58 का लागू होना रहते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को बिना नोटिस जारी किये वेट नियम 19ए के तहत लेट फीस आरोपित की जो कि अविधिक है। प्रत्यर्थी के आलौच्य वर्ष 2010-11 में नियम 19ए लागू नहीं होना बताया तथा आगे तर्क किया कि वेट नियम 19ए दिनांक 01.04.2011 में बिक्री विवरण प्रपत्र पेश नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 58 लागू रहना बताया तथा धारा 58 लागू रहते हुए सशक्त अधिकारी के द्वारा बिना नोटिस/सूचना पत्र जारी किये धारा 58 में शास्ति आरोपित नहीं की जाकर वेट नियम 19ए में आरोपित लेट फीस/शुल्क अविधिक होने पर अपीलीय अधिकारी ने उचित रूप से अपास्त की है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी का कर निर्धारण आदेश आलौच्य वर्ष 2010-11 का है तथा उक्त आलौच्य वर्ष 2010-11 में वेट नियम 58 लागू था। परन्तु रिटर्न देरी से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न स्थिति स्पष्ट होती है :-

"Rule 19A of RVAT Act Rules 2006 Late Fee - Late fee on Late filing of return Assessing Authority imposed late fee for late filing of return for the year 2010-11. Since different provision were applicable in different periods, the point of dispute was which provision will be applicable in case of late filing of return. R.T.B. while partially allowing the appeal of the dealer held that :- The offence in filing return is a continuous offence. This offence starts on the last date of filing or return and ends on the date on which the return is actually filed. Amount of late fee is quantified as per provisions applicable on the date on which this continuous offence ends. As per Hon'ble Supreme Court in case of Maya Rani Punj(1986) 157 ITR 330 the offence ends on the date on which return is being filed or the order is passed. Therefore, late fee is payable as per provisions in force on the date of filing of return. [2015] 41 TUD 221 (RTB)"

हस्तगत प्रकरण में भी रिटर्न वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित है। परन्तु वर्ष 2010-11 का वेट 10ए दिनांक 30.10.2012 को प्रस्तुत किया है, जो 183 दिन देरी से प्रस्तुत किया है। नियम 19ए दिनांक 01.04.2011 से प्रभाव में आ गया था। अतः वेट 10ए को प्रस्तुत करने की दिनांक 30.10.2012 को नियम 19ए प्रभावी था इसलिये राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त 41 टीयूडी 221 के आलोक में अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है।

इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति विधिक एवं न्यायसंगत है। अतः अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी का आदेश बहाल किया जाता है। विभाग की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य